

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला**

**पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019

प्रार्थी  
परबतसिंह पुत्र जुहारसिंह  
जाति राजपुत निवासी  
मोकणी खेडा तहसील सायला  
जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी  
तहसीलदार भू.अ. सायला  
जिला जालोर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार ( तह0 सायला) अप्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/05/2019

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि ग्राम वालेरा की जमाबन्दी संवत् 2069-72 खाता संख्या 209 में खसरा नम्बर 232/1564, 236/1603 रकबा क्रमशः 0.05 हे. , 0.04 हे. दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2051-70 के खाता संख्या 191 में 232/1564, तथा 236/1603 रकबा क्रमशः 0.05 हे. , 0.04 हे. दर्ज है। जबकि नक्शा लट्ठा ट्रेस व मामी ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर 332/1564, तथा 336/1603 दर्ज है। जो मूल खसरा नम्बर 332 व 336 के ही भाग है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर 332/1564, 336/1603 ही दर्ज है जो सही है मिसल बंदोबत तैयारी के समय गलती से खाते में 232/1564, व 236/1603 दर्ज हो गये जिन्हे नक्शे के अनुसार 332/1564 व 336/1603 दर्ज करवाने का आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सायला को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार सायला द्वारा पत्रांक/42 दिनांक 10.4.2019 के जरिये संबंधित पटवारी हल्का से जांच करवाकर रिपोर्ट भिजवाई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र परबतसिंह पुत्र जुहारसिंह जाति राजपुत निवासी वालेरा द्वारा मौजा वालेरा की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 232/1564 व 236/1603 रकबा क्रमशः 0.

C